न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री शक्ति सिंह राठौड़, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2024/820 जिला–अजमेर

मोहन सिंह पुत्र राम सिंह, जाति रावणा राजपूत,निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

---अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर।

---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 31–08–2021
अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 39/2019
बउनवान मोहन सिंह बनाम राज0 सरकार

उपस्थित– 1. श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 15–12–2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोविन्दगढ़ ने ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन के आराजी खसरा नम्बर 2389 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म बारानी–1 पर अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से बाड़ लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का ने धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की। तहसीलदार, पीसांगन ने प्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर आराजी खसरा नम्बर 2389 स्कया 0.04 हैक्टर किस्म बारानी–1 पर अनाधिकृत रूप से बाड लगाकर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए विवादित आराजी से बेदखल करने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप लगान राशि रूपये 50/– जुर्माना आरोपित करने तथा आराजी से खड़ी फसल एवं अनाधिकृत निर्माण आदि को धवस्त कर जप्त सरकार करने व नीलामी हेतु जुदागाना आदेश प्राप्त करने का निर्णय दिनांक 3.7.2019 को पारित कर दिया। जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील अति० जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.8.2021 से अपीलार्थी

गीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

की अपील खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पीसांगन का निर्णय दिनांक 3.7.2019 यथावत रखे जाने के आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में एकतरफा में पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जबकि एकतरफा में बनाई गई रिपोर्ट का कानूनन कोई महत्व नहीं है एवं एकतरफा में बनाई गई रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा ऐसी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोनो मातहत न्यायालयों द्वारा उक्त स्थिति पर गौर किए बिना विधिक प्रक्रिया व विधिक प्रावधानो के विपरीत अवैधानिक रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया जो साइक्लोस्टाईल निर्णय है ऐसा निर्णय विधिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलार्थी मोहनसिंह व अपीलार्थी का भाई सोहनसिंह पिसरान रामसिंह अपने पिता के जीवनकाल के समय से ही लगभग 30–40 वर्षों से उक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे थे। इन परिस्थितियों के मध्येनजर ग्राम पंचायत गोविन्दगढ पचांयत समिति पीसांगन द्वारा अपीलार्थी मोहनसिंह एवं अपीलार्थी के भाई सोहनसिंह को विवादित आराजी पर दिनांक 5.11.2009 को आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया तथा अन्य व्यक्तियों को भी पट्टे जारी किए हुए है, जिससे सभी पट्टेधारी मौके पर काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी विवादित आराजी पर अतिक्रमी नहीं है। इसके बावजूद भी दोनो मातहत न्यायालयो द्वारा अपीलार्थी को विवादित आराजी पर अतिकमी मानते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी विवादित आराजी पर अतिकमी नहीं है। फिर भी अपीलार्थी को अतिकमी मानकर बेदखली के आदेश पारित कर दिए। जबकि अपीलार्थी अपने पट्टेशुदा भूमि पर बहैसियत पट्टाधारी काबिज चला आ रहा है तथा अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजी आवासीय प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही है एवं लोहे के टिनशेड लगाकर चारा डालने व मवेशी बांधने के लिए भी उपयोग में ली जा रही है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विरोधाभासी रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया है। उनके द्वारा अपीलार्थी के हक मे जारी पट्टे बाबत यह अंकित किया गया है कि चूंकि पट्टे में खसरा नम्बर अंकित नहीं है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उक्त विवादित भूमि का ही पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा 2432.5 वर्ग फीट (270.27 वर्ग गज) भूमि का पट्टा जारी किया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा 0.04 हेक्टर भूमि पर अवैधानिक रूप से बाड लगाकर अतिक्रमण किया है जो पट्टा शुदा भूमि से काफी अधिक है। यहां गौरतलब है कि जब अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के हक में जारी पट्टे को मान लिया गया था, तो अपीलार्थी के हक में जारी पट्टे की

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

भूमि को आक्षेपित आदेश से मुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन विवादित आराजी 0.04 हैक्टर सम्पूर्ण पर से ही बेदखली के आदेश को यथावत रखने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की गई है, जिससे पारित आदेश निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि दोनो मातहत न्यायालयों द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नही किया गया कि विवादित आराजी पर अपीलार्थी मोहनसिंह पुत्र रामसिंह को 2432.5 वर्ग फुट (270.27 वर्ग गज) एवं अपीलार्थी के भाई सोहनसिंह पुत्र रामसिंह को 3753 वर्गफुट (417 वर्गगज) कुल 6185.5 वर्गफुट (687.27 वर्गगज) भूमि का पट्टा दिया गया है। लेकिन सम्पूर्ण आराजी बावत केवल मात्र मोहनसिंह के खिलाफ ही धारा 91 की कार्यवाही की गई है जबकि विवादित आयजी में सोहनसिंह को भी पट्टा जारी किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं है। अपीलार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी साबिक खसरा संख्या 1433 जिसका नवीन खसरा नम्बर 1744 तथा हाल खसरा संख्या 2390 एवं 2356/3105 कायम हुए है। राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा शीट में साबिक खसरा संख्या 1433 तथा 1744 एवं हाल खसरा संख्या 2390 एवं 2356/3105 के नक्शे में अन्तर है। जिससे भी विवादित आराजी पर अतिक्रमण होने बाबत विवाद हुआ है। अगर दोनो मातहत न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड की युक्तियुक्त एवं सम्पूर्ण जांच की जाती तो, उनके समक्ष सही स्थिति आ सकती थी किन्तु दोनो मातहत न्यायालयो द्वारा मौके की जांच किए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीका की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–08–2021 एवं तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–07–2019 खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजियात जो कि सिवायचक भूमि है पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है जो कि पटवारी हल्का गोविन्दगढ़ की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। अपीलार्थी विवादित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया । अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। विवादित आराजियात पर अतिक्रमण पाये जाने पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। तहसीलदार द्वारा धारा 91 की कार्यवाही कर बेदखली करने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप लगान राशि रूपये 50/– जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। सिवायचक भूमि पर कब्जा अतिक्रमण करने पर बेदखली शास्ति व कारावास का दण्ड देने के अधिकार है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर अपीलार्थी को विधिवत सुनकर दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–08–2021 एवं 3–07–2019 पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील पीसांगन के आराजी खसरा नम्बर 2389 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म बारानी–1 पर अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से बाड़ लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का ने धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की। तहसीलदार, पीसांगन ने प्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर आराजी खसरा नम्बर 2389 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म बारानी–1 पर अनाधिकृत रूप से बाड लगाकर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए विवादित आराजी से बेदखल करने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप लगान राशि रूपये 50/– जुर्माना आरोपित करने आदेश दिनांक 03–07–2019 पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपर जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 31–08–2021 में अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण मानते हए खारिज कर दिया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पटवारी हल्का गोविन्दगढ़ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24–09–2019 में बाड़ लगाकर कब्जा कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तहसीलदार, पीसांगन को प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में सम्पूर्ण भूमि पर ही अतिक्रमण करने का उल्लेख किया है जबकि सरपंच ग्राम पंचायत पीसांगन जिला अजमेर द्वारा दिनांक 5–11–2019 को 2432.5 वर्गफुट अर्थात 270. 27 वर्गगज का पट्टा जारी किया हुआ है। पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट नहीं बनाई की कितनी भूमि पर अपीलार्थी ने अतिक्रमण कर कब्जा किया है तथा न ही किसी ग्रामवासी के हस्ताक्षर किए है कि वास्तव में अतिक्रमण किया हुआ है। विवादित भूमि पर अपीलार्थी मोहन सिंह एवं अपीलार्थी के भाई सोहन सिंह 30–40 वर्षो से उक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे है। अपीलार्थी पट्टेशुदा आराजी पर बहैसियत काबिज चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के हक में जारी पट्टे को मान लिया था तो अपीलार्थी के हक में जारी पट्टे की भूमि को मुक्त किया जाना चाहिए किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीसांगन द्वारा विवादित आराजी 0.04 हैक्टर सम्पूर्ण पर से अपीलार्थी को बेदखली के आदेश पारित कर दिये जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अति0 जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–08–2021 एवं तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–07–2019 विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–08–2021 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 39/2019 बउनवान श्री मोहन सिह बनाम राजस्थान सरकार एवं तहसीलदार पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–07–2019 अन्तर्गत राजस्व मुकदमा नम्बर 60/2019 बउनवान सरकार बनाम मोहन सिंह विधिसम्मत नहीं होने

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

से खारिज किये जाते है और प्रकरण तहसीलदार, पीसांगन को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे मौके की भौतिक एवं वास्तविक कब्जे की स्थिति की जांच कर अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 15–12–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner